न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी–सुश्री नवज्योति कंवरिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं0	तारीख दायर	तारीख निर्णय
1/178	16.10.2023	20.11.2024

बउनवान

01. महेश चन्द पुत्र रामकुंवार
02. संन्तोष कुमार यादव पुत्र रामकुंवार
03. सोनू कुमार पुत्र रामकुंवार जातियान–अहीर निवासीयान माधोबास तहसील मालाखेडा

प्रार्थीगण

बनाम

01. मुफीद पुत्र अयूब निवासी गाजुका तहसील अलवर
02. रूकसीना पत्नी मुफीद निवासी गाजुका तहसील अलवर
03. अकरम पुत्र ईसब मेव निवासी पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा
04. रज्जी पुत्र ईसब मेव निवासी पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–
01. श्री फूलसिंह चौधरी एडवोकेट प्रार्थीगण
02. श्री देवेन्द्र प्रधान एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय

वकील प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी जाति से अहीर है जो पिछडा वर्ग की श्रेणी मे आता है। आराजी खसरा नम्बर 616 रकबा 0.58 हैक्टेयर ग्राम माधोबास तहसील मालाखेडा मे से प्रार्थीगण का 1/3, 1/3 हिस्सा है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई लेना–देना नही है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण अपने 1/3, 1/3 हिस्से पर वक्त खरीद से लगातार कब्जा काश्त करता रहा है। उक्त आराजी मे जबरदस्ती अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है, ओर कच्ची पाटोल डाल रख है। जबकि प्रार्थीगण की उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही है। मना करने पर भी ये लोग प्रार्थीगण के 1/3, 1/3 हिस्से पर जबरदस्ती जोत बो देते है। अप्रार्थीगण दबंग एवं आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है। गाली

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

गलौच एवं मारपीट पर तुरन्त उतारू हो जाते है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 616 रकबा 0.58 हैक्टेयर ग्राम माधोबास तहसील मालाखेडा के सम्पूर्ण हिस्से 1/3, 1/3 से अप्रार्थीगण के जबरन कब्जे को हटवाया जाकर प्रार्थीगण को कब्जा दिलाया जावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत होकर जवाब पेश किया कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण संख्या–1 के पिता व 2 के ससुर अयूब ने खरीद की थी जिस समय से ही विवादीत आराजी पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का अधिकार है। आपसी विवाद के चलते विवादित आराजी को अयूब ने अख्तर को बेचान कर दिया था तथा अख्तर ने प्रार्थीगण को बेचान कर दिया। विवादित आराजी पर प्रारम्भ से ही अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का अधिकार है तथा कुल कार्य काश्तकारी भी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा ही किया जाता है। प्रार्थीगण का कभी विवादित आराजी पर कब्जा रहा ही नही है। इसलिये उक्त प्रकरण 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नही आता है जो मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाये जाने योग्य है।

तहसीलदार मालाखेडा से प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दूओ की वर्तमान मौके की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2024/1281 दिनांक–22.03.2024 में अंकित किया कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2070, 2075 ग्राम माधोबास के आराजी खसरा नम्बर 616 रकबा 0.58 हैक्टेयर चाही–3 पर महेश चन्द, सन्तोष कुमार, सोनू कुमार पुत्रान रामकुंवार यादव जाति अहीर सा. देह समान भाग खातेदार दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी पर 10X20 वर्ग फुट की पाटौल, दक्षिणी पूर्वी कोने पर बनी हुई है। जिसमे कोई निवास नही करता है। मौके पर कब्जा मुफीद पुत्र अयूब मेव निवासी गाजूका तहसील अलवर का है।

उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण की खरीद शुदा आराजी है। जिसका नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकार होकर हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। अप्रार्थीगण अपराधिक प्रवृति के लोग है। जिन्होने बिना किसी विधिक अधिकार प्राप्त किये जबरदस्ती लठ के बल पर प्रार्थीगण की सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर लिया है। अप्रार्थीगण के जबरदस्ती किये गये कब्जे को हटवाकर प्रार्थीगण को विवादित आराजी का कब्जा दिलाया जावें। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे कथन किया कि अप्रार्थीगण का शुरू से ही विवादित आराजी पर कब्जा है। प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कभी कब्जा रहा ही नही। प्रार्थीगण मनगढन्त तरीके से प्रार्थना पत्र लाये है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रश्नगत आराजी हाल खसरा नम्बर 616 रकबा 0.58 हैक्टेयर ग्राम माधोबास के मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070–2075 खाता संख्या नया 58 पर प्रार्थीगण 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के पैरा नम्बर 2 व अतिरिक्त कथन के बिन्दु संख्या 2 मे भी इस तथ्य को स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

है कि विवादित आराजी का अख्तर ने प्रार्थीगण को बेचान कर दिया। तहसीलदार मालाखेडा ने भी अपनी मौके की रिपोर्ट मे प्रश्नगत आराजी के प्रार्थीगण खातेदार होना तथा अप्रार्थीगण द्वारा 10X20 वर्ग फुट की कच्ची पाटोल डालना अंकित किया है। वकील अप्रार्थीगण ने बरवक्त बहस भी ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा किस अधिकार से है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण बहक प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 616 रकबा 0.58 हैक्टेयर ग्राम माधोबास तहसील मालाखेडा से अप्रार्थीगण द्वारा किये गये नाजायज कब्जे को हटवाये जाने के तहसीलदार मालाखेडा को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मालाखेडा पुलिस जाब्ता के साथ उक्त कब्जे को हटवाते हुऐ प्रार्थीगण को मौके पर कब्जा दिलवाये।

नवज्योति कंवरिया
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

निर्णय आज दिनांक–20.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नवज्योति कंवरिया
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०